तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक एतराज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रैस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय के रूपान्तरण आदेश दिनांक 31.03.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। परन्तु अपीलाण्ट का विवादग्रस्त रूपान्तरण आदेश से कोई हित या स्वत्व निहित नहीं है एवं ना ही अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही था एवं ना ही उक्त रूपान्तरण आदेश से अपीलाण्ट के कोई सीधे हित प्रभावित होते हैं। लिहाजा अपीलाण्ट किसी प्रकार से उक्त रूपान्तरण आदेश से व्यथित पक्ष नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 687 की सीमा एन. एच. 11 बी से लगी है। पहले वाले रोड पर नहीं खुलता है तथा जो रूपान्तरण अपीलाण्ट के हक में बताया है वह खसरा नम्बर 687 की पूर्वी मेड पर सरकारी खसरा नम्बर 726 एवं 723 एवं 722 से लगकर हुआ है। रैस्पो0 के खसरा नम्बर 3113/724 से अपीलाण्ट के रूपान्तरण का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं रैस्पो0 का उक्त खसरा नम्बर अपीलाण्ट की आराजी से काफी दूरी पर है। अपीलाण्ट ने उक्त अपील भी धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिये अपील अपीलाण्ट मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य है। क्योंकि अपीलाण्ट अपनी अपील में यह बताने में असमर्थ रहें कि अपीलाधीन आदेश से उन पर किस प्रकार विपरीत प्रभाव पडेगा। जिसके कारण वह व्यथित की श्रेणी में आता है व अपीलाधीन आदेश की अपील करने का अधिकारी है। अपीलाण्ट ने अपील में अपने लिये कोई अनुतोष नहीं मांगा है मात्र रैस्पो0 के रूपान्तरण आदेश को निरस्त कराने की प्रार्थना की गयी है। बिना स्वयं के लिये अनुतोष मांगे अपील नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने विवादग्रस्त रूपान्तरण आदेश को आक्षेपित करते हुये, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी में देशराज बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य नियमित वाद दायर कर दिया है। नियमित वाद का निर्णय अपील के निर्णय पर बाध्य होता है। इसलिये नियमित वाद एवं अपील भिन्न भिन्न न्यायालयों में चलने के कारण अपील को स्थगित कर देना चाहिये। रैस्पो0 की आराजी एन.एच. से नहीं लगी है वह डगरिया से लगी हुयी है। अपीलाण्ट हस्तगत अपील में विवादित आराजी के बॅटवारे को भी चुनौती दे रहे हैं, जो की सही नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट विवादित आराजी के सहखातेदार नहीं है एवं ना ही हस्तगत अपील के माध्यम से वह बॅटवारे को चुनौती दे सकते हैं। विवादित आराजी पर जो फैक्ट्री है वह रैस्पो0 की सीमा में लगी हुयी है एवं रैस्पो0 की ही है। जिसे अपीलाण्ट अपना गलत बता रहे हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील में कोई बल नहीं है एवं धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत नहीं करने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2020(3) पेज 993, आरबीजे 2020 पेज 569, 2016 पेज 318, आरएलडब्ल्यू 2005(1) पेज 549, आरआरटी 2016(2) पेज 984, एआईआर 2010 पेज 2010, आरआरटी 2017(2) पेज 1348 का उद्धरण प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि पीडित व्यक्ति धारा 96 सीपीसी के आवेदन एवं अनुमति के बिना भी अपील पेश कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार होना जरूरी नहीं है। आक्षेपित आदेश से प्रभावित होना चाहिये। हस्तगत अपील में आक्षेपित भूमि रूपान्तरण आदेश से रूपान्तरित भूमि की सडक सीमा से अर्थात सडक सीमा छोडने के बाद सरकारी भूमि एवं अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 687 में बैठती है। इसलिये अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार हैं। विवादित भूमि का रैस्पो0 ने जो रूपान्तरण कराया है वह जगह भौतिक रूप से मौके पर नहीं है। भूमि रूपान्तरण आदेश के खिलाफ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील का क्षेत्राधिकार है। दूसरा रेवेन्यू कार्यवाही अपील एवं दीवान दावा की कार्यवाही पृथक–पृथक विचारण किये जावेंगें। वर्तमान अपील एवं दीवानी दावा में पक्षकार एवं अनुतोष तथा वादकरण भिन्न भिन्न हैं। रैस्पो0 ने तथ्यों को	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

छुपाते हुये पटवारी हल्का, तहसीलदार एवं भू अभिलेख निरीक्षक से सॉठ–गॉव कर भूमि रूपान्तरण कराया है। बॅटवारा भी गैर कानूनी है। बिना सहमति मूल खातेदार महावीर के भूमि रूपान्तरण अवैध व शून्य है। खसरा नम्बर 724 जिसमें से भूमि रूपान्तरण एवं बयनामें हुये हैं उसमें मूल खातेदार ने राष्ट्रीय राजमार्ग से भूमि अवाप्ति का मुआवजा लिया है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 724 राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा है तथा सडक सीमा 110 फुट है फिर भूमि रूपान्तरण 50 फुट छोडकर गैर कानूनी हुआ है। उपखण्ड अधिकारी ने भूमि रूपान्तरण हेतु समस्त कार्यवाही नहीं की गयी हैं एवं ना ही आपत्तियॉ ली गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने पर अपीलाण्ट के हित में अनुतोष मिलेगा। अपीलाण्ट का रूपान्तरण 1191 का है। उक्त रूपान्तरण को रैस्पो0 ने कही चुनौती आज तक नहीं दी। निर्माण भी अपीलाण्ट का ही है। यदि रैस्पो0 का है तो निर्माण की स्वीकृति बतानी चाहिये, जो नहीं बतायी है। इस प्रकार अपीलाण्ट विवादित रूपान्तरण से व्यथित पक्ष है एवं बिना धारा 96 सीपीसी के अपील करने का अधिकारी होता है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज खारिज करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2019(2) पेज 1206, आरबीजे 2016 पेज 547, डीएनजे 2014(3) पेज 857, आरआरटी 2007(2) पेज 1221, डीएनजे 2121(3) पेज 977, आरआरटी 2016(1) पेज 170, 2008(2) पेज 224, एआईआर 2013 पेज 2990 का उद्धरण पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट विवादित भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं करता है। बल्कि रेस्पोंडेंट के पक्ष में हुए रूपान्तरण को विधि विरूद्ध बताता है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार एग्रीव्ड है, यह अपील में कहीं भी अंकित नहीं किया है। अपीलांट रूपान्तरण प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं था तो फिर अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने के लिए विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। रेस्पोंडेंट विवादित आराजी के तन्हा खातेदार हैं। परन्तु अपीलाण्ट ना तो विवादित आराजी के खातेदार ही हैं एवं ना ही सहखातेदार। फिर भी उनके द्वारा हस्तगत अपील में विवादित आराजी के बॅटवारे, नामान्तकरण आदि को भी चुनौती दी गयी है, जो तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस में अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 687 व रैस्पो0 का आराजी खसरा नम्बर 3113/724 दूर–दूर एवं डगरिया के विपरीत दिशा में है, तो रैस्पो0 किस प्रकार अपीलाण्ट की आराजी में प्रवेश कर सकते हैं। अपीलाण्ट चाहे तो विवादित आराजी की पैमाईश हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस कारण के हम रैस्पो0 का रूपान्तरण निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उन पर रैस्पो0 के रूपान्तरण का किस प्रकार विपरीत प्रभाव पडेगा। जिसके कारण वह व्यथित पक्ष की श्रेणी में आते हैं। लिहाजा धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति नहीं लेने एवं व्यथित व्यक्ति नहीं होने के कारण रैस्पो0 का प्राथमिक एतराज स्वीकार किये जाने एवं अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर ख़ारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के तथ्य प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण, इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 संभागीय आयुक्त
भरतपुर